(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सार्वजनिक सूचना सं0 40 (आर ई: 2010)/2009-2014

दिनांक 9 मार्च, 2011

विषयः- प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 2.21.1 में संशोधन-मुक्त व्यापार समझौतों (एफ टी ए) तथा प्राथमिकता की साधारणीकृत व्यवस्था (जी एस पी) स्कीमों के तहत भारत के निर्यात के लिए मूल का प्रमाणपत्र (तरजीही) जारी करने के लिए शुल्क का पुनरीक्षण।

1. विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-1), 2009-2014 के पैरा 2.21.1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

2. पैरा 2.21.1 के वाक्य ''प्राधिकृत एजेन्सियाँ दी गई सेवाओं के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा यथा अनुमोदित शुल्क ले सकती हैं'' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता हैः

''भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफ टी ए), तरजीही व्यापार समझौतों (पी टी ए) के तहत भारत के निर्यात के लिए और जी एस पी व्यापार प्राथमिकता की वैश्विक व्यवस्था (जी एस टी पी) स्कीमों के तहत निर्यातों के लिए मूल का प्रमाणपत्र (तरजीही) जारी करने के लिए 350 रु0 (तीन सौ पचास रुपये मात्र) का शुल्क होगा। 1 अप्रैल, 2011 से प्राप्त आवेदनों के लिए बढ़ा हुआ शुल्क लागू होगा ।''

3. सार्वजनिक सचना का प्रभाव

मूल का प्रमाणपत्र (तरजीही) जारी करने के लिए मौजूदा शुल्क 150 रु0 (एक सौ पचास रुपये मात्र) है। यह शुल्क 1 अप्रैल, 2011 से बढ़ाकर 350 (तीन सौ पचास रुपये मात्र) कर दिया गया है ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल : dgft@nic.in

(फाइल सं0 01/93/180/35/एएम 11/पी सी-2(बी))